अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

148/2024/ ब्रान० जगदीश प्रसाद / जुगल किशोर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री विजय त्रिवाठी श्री भींयाराम चौधरी	
03.04.2025	जगदीश प्रसाद बनाम जुगलकिशोर वगैरह (2025 / 148) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब प्रार्थना पत्र बावत बाजदायरी एवं प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 अ सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया, प्रति अभिभाषक प्रार्थी को दी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं करे सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 अ सपठित धारा 151 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बाजदायरी पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 04.04.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
04.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 03.04.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 अ सपठित धारा 151 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बाजदायरी पर सुना गया। अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 3 अ सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि सबसे पहले धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है क्योंकि अपीलांट के अधिवक्ता ने मनघडंत तथ्यों के आधार पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि पत्रावली संबंधित पत्रावलियों के साथ बंध जाने के कारण जानकारी में उक्त प्रकरण नहीं आ सका और अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया कि पत्रावली कौन से बस्ते मे किन पत्रावलियों के साथ बांधी गई और उक्त प्रकरणों की पत्रालियों के बस्ते कब खोले गए और उक्त बस्ते में कौन सी पत्रावलियां थी और कब कौन सी तारीख को किस तरीके से जानकारी हुई यह अपने प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित नहीं किया क्योंकि अपीलांट के अधिवक्ता को न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणित है कि दिनांक 3.5.2023 को अपील में रेस्पो0 संख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई जो हर पेशी यानि दिनांक 23.5.2023, 7.6.2023, 13.7.2023 व 4.8.2023 को नोटिस पेश करने की हर आदेशिका में लिखा गया है और दिनांक 16.10.2023 को न्यायालय की आदेशिका में लिख गया है कि अपीलांट को कई अवसर दिए गए कि रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत करे और आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने का लिख गया है। उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा दिनांक 14.11.2023, 27.12.2023, 05.1.2024, 1.02.2024, 11.03.2024, 29.04.2024, 4.06.2024, 22.07.2024, 28.08.2024, 4.10.2024, 16.10.2024 व 28.10.2024 को तो साधारण अवसर दिए गए और दिनांक 2.12.2024 को अपीलांट व उसके अभिभाषक को रेस्पो0 सख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया और उसके बाद दिनांक 10.01.2025 एवं 14.1.2025 को रेस्पो0 संख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत नहीं करने से करीबन 23 पेशी के बाद न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अदमहाजरी अदमपैरवी में खारिज किया जबकि उक्त प्रकरण को अदमहाजरी अदमपैरवी के साथ अदमतकमील में भी खारिज करना चाहिए था। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपीलांट्स के प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

Scanned with CamScanner

एडी नोटिस प्रस्तुत नहीं करने से करीबन 23 पेशी के बाद न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अदमहाजरी अदमपैरवी में खारिज किया जबकि उक्त प्रकरण को अदमहाजरी अदमपैरवी के साथ अदमतकमील में भी खारिज करना चाहिए था। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपीलांट्स के जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 को स्वीकार फरमाया जावे और अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील को न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.1.2025 के द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज करने का आदेश प्रदान किया है। उपरोक्त उनवानी अपील में श्रीमान द्वारा बरवक्त लगवाए जाने आवाज प्रार्थी/अधिवक्ता अन्य न्यायालय के समक्ष प्रकरण की बहस में व्यस्त होने के कारण बरवक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और न्यायालय ने उक्त अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। अभिभाषक/प्रार्थी ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देंगे इस कारण से भी प्रार्थी नियत तारीख पेशी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अतः न्यायालय से निवेदन है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई करते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने का आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र बाजदायरी में कथन किया कि क्योंकि अपीलांट के अधिवक्ता को न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणित है कि दिनांक 3.5.2023 को अपील में रेस्पो0 संख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई जो हर पेशी यानि दिनांक 23.5.2023, 7.6.2023, 13.7.2023 व 4.8.2023 को नोटिस पेश करने की हर आदेशिका में लिखा गया है और दिनांक 16.10.2023 को न्यायालय की आदेशिका में लिख गया है कि अपीलांट को कई अवसर दिए गए कि रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत करे और आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने का लिख गया है। उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा दिनांक 14.11.2023, 27.12.2023, 05.1.2024, 1.02.2024, 11.03.2024, 29.04.2024, 4.06.2024, 22.07.2024, 28.08.2024, 4.10.2024, 16.10.2024 व 28.10.2024 को तो साधारण अवसर दिए गए और दिनांक 2.12.2024 को अपीलांट व उसके अभिभाषक को रेस्पो0 सख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया और उसके बाद दिनांक 10.01.2025 एवं 14.1.2025 को रेस्पो0 संख्या 6 से 8 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत नहीं करने से करीबन 23 पेशी के बाद न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अदमहाजरी अदमपैरवी में खारिज किया जबकि उक्त प्रकरण को अदमहाजरी अदमपैरवी के साथ अदमतकमील में भी खारिज करना चाहिए था। क्योंकि अपीलांट व उसके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अन्य न्यायालय के समक्ष प्रकरण की बहस में व्यस्त होने का कारण अंकित किया है जो कि बिल्कुल ही आधारहीन है इसलिए अपील को सही रूप से अदमहाजरी अदमपैरवी में खारिज किया है, जबकि अपीलांट के अभिभाषक व उसकी लापरवाही के हिसाब से उक्त प्रकरण को अदमतकमील में भी खारिज करना चाहिए था। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपीलांट्स के जवाब प्रार्थना पत्र बाबत बाजदायरी को स्वीकार फरमाया जावे और अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे क्योंकि उक्त आदेश किसी विधि के प्रावधानों में नहीं होने से भी खारिज किया जावे।

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

148/2025 जगदीश V/s ब्रजलाल किशोर

लगातार..

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निरस्तारित करना उचित समझते है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थनापत्र, जवाब का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया की अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्‌भाविक प्रतीत होते है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 3 अ सपठित धारा 151 पर की गई बहस पर मनन किया। चूंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निरस्तारित किया जा चुका है। अतः अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 3 अ सपठित धारा 151 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

अंत में अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि दिनांक 16.01.2025 को अभिभाषक अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं थे इसलिए अपील को अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्वकिल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निरस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निरस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner